

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


30.01.2024

वाद संख्या-69/2023


अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम-ओपाग, पंचायत-चुगरू, प्रखण्ड-बरवाडीह, जिला-लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपस्थित।

आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। आयोग प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए यह मान रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निदान कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।